कृषि निदेशालय ,उत्तर प्रदेश
(आय–व्ययक अनुभाग)

पत्रांक बी0ए0/ 08 /सेन्ट्रल सर्वर 2013–14/दिनॉंक :लखनऊ 08 अप्रैल,2013

समस्त योजना नियंत्रक अधिकारी,
कृषि भवन,लखनऊ।

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–बी–1–417/दस–2013–16/94 दिनॉंक 26.02.2013 द्वारा कम्प्यूटर आधारित वेब बेस्ड डाटा ट्रान्समिशन प्रणाली के माध्यम से दिनॉंक 01.04.2013 से कोषागारों को आन लाइन बजट आवंटन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।(छाया प्रति संलग्न)

उपरोक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित की गई व्यवस्था के अनुसार जो साफ्टवेयर शासन द्वारा अनुमोदित किया गया है उसके एडमिनिस्ट्रेटर का कार्य निदेशक,कोषागार,उ0प्र0 द्वारा नामित अधिकारी तथा सुपर यूजर का कार्य विभाग में तैनात वित्त एंव लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा किया जायेगा। कृषि विभाग में यह कार्य वित्त, नियंत्रक द्वारा किया जाना है, जिन्हें निदेशक, वित्तीय सॉख्यकीय निदेशालय द्वारा यूजर आई डी एंव पासवर्ड आवंटित किया जायेगा। जिसके माध्यम से वित्त नियंत्रक द्वारा विभाग के अनुदान से सम्बन्धित योजनाओं का बजट आवंटन किया जायेगा। आवंटन पत्र वेब बेस्ड साफ्टवेयर के माध्यम से जनरेट किया जायेगा और इस प्रकार जनरेटेड आवंटन पत्र वित्त नियंत्रक द्वारा अपने पासवर्ड के माध्यम से O.K. करने पर आवंटित बजट कोषागारों को स्वतः ट्रान्समिट हो जायेगे।

नयी व्यवस्था में यह कार्य बिना यूजर आई डी और पासवर्ड के सम्भव नहीं है इसलिये वित्त नियंत्रक के स्तर से केन्द्रीयकृत आवंटन अपरिहार्य हो गया है। अतः उक्त शासनादेश की व्यवस्थाओं के अनुरुप धनावंटन एंव नियंत्रण हेतु निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है।

1– आयोजनागत पक्ष की योजनाओं में स्वीकृत कार्य योजना के अनुरुप एकमुश्त आवंटन का प्रस्ताव कार्य योजना की प्रति के साथ नियोजन लेखा अनुभाग को एंव आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं में वास्तविक आवश्यकता के अनुरुप बजट आवंटन का प्रस्ताव बजट अनुभाग को योजना नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अपने हस्ताक्षर से उपलब्ध कराया जायेगा।

2– उक्तानुसार प्रस्तावित आवंटन का परीक्षण नियोजन लेखा अनुभाग तथा बजट अनुभाग द्वारा करने के पश्चात उसे निदेशक,कोषागार से प्राप्त आई0डी0 एंव पासवर्ड का प्रयोग करते हुए आन लाइन फीड किया जायेगा।

3– आयोजनागत पक्ष में बजट आवंटन प्रस्ताव स्वीकृत कार्य योजना के अनुरुप न होने की दशा में वित्त नियंत्रक द्वारा अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदन से आवंटन में संशोधन किया जा सकेगा।

4– आयोजनेत्तर पक्ष में योजना संचालन सम्बन्धी मदों में बजट आवंटन प्रस्ताव कार्य योजना के अनुरुप न होने की दशा में वित्त नियंत्रक द्वारा अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदन से एंव अधिष्ठान सम्बन्धी मदों में प्रस्ताव वास्तविक आवश्यकता पर आधारित न होने की दशा में वित्त नियंत्रक द्वारा स्वतः आवंटन में संशोधन किया जा सकेगा।

5– बजट आवंटन की हार्ड कापी वित्त नियंत्रक द्वारा हस्ताक्षरित कर निर्गत की जायगी जिसे योजनाधिकारी तत्काल सम्बन्धित कोषागारों एंव कार्यालयों को प्रेषित करेगें ताकि कोषाधिकारी साफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त साफ्ट कापी का मिलान हार्ड कापी से करते हुए बिलों को पारित कर सकें।

——— 2–

6— कम्प्यूटर जनित फाइलों की एक हार्ड कापी नियोजन लेखा अनुभाग तथा बजट अनुभाग की गार्ड फाइलों में रखा जायेगा।

7— बजट नियंत्रण पंजिका तथा अन्य अभिलेखों का रख रखाव शासनादेश संख्या--बी0—1—1995/दस—16/94 दिनॉक 06.06.1994 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पूर्व की भॉति किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्देशों का पालन वित्त विभाग के संदर्भित शासनादेश दिनॉक 26.02.2013 के कम में तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

5.4.13

(देव मित्र सिंह)
कृषि निदेशक, उ0प्र0।

पत्रांक बी0ए0/ 08 /सेन्ट्रल सर्वर 2013—14/दिनॉक :लखनऊः उक्तः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रमुख सचिव, वित्त आय व्ययक अनुभाग—1,उ0प्र0शासन,सचिवालय,लखनऊ।
2— उप सचिव, कृषि अनुभाग—5,उ0प्र0शासन,सचिवालय,लखनऊ।
3— निदेशक,कोषागार,उ0प्र0।
4— निदेशक,वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय,उ0प्र0।
5— समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक,उ0प्र0।
6— समस्त आहरण वितरण अधिकारी,कृषि विभाग,उ0प्र0।
7— सहायक निदेशक(समन्वय एंव कम्प्यूटर) कृषि भवन,लखनऊ।
8— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उ0प्र0।

5.4.13

(देव मित्र सिंह)
कृषि निदेशक, उ0प्र0।